न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

रिवीजन क्रमांक:-

ता. पेश 27

म/निगरानी/दमोह/भू.रा/2017/4073 / 20

नत्थूलाल सोनी बल्द स्व. श्री केतराम सोनी उम्र 72 वर्ष

साकिन सलैयाबड़ी तहसील जबेरा जिला दमोह म.प्र.

हाल मुकाम व स्थाई निवासी जबेरा जिला दमोह

---- रिवीजनकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

दीपचंद सोनी उम्र 74 वर्ष बल्द चतुर्भुज सोनी

साकिन सिंगपुर तहसील जबेरा जिला ~~सागर~~ दमोह म.प्र.

हाल मुकाम

---- उत्तरवादी/आवेदक

B.O.R.

12 6 SEP 2017

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा:- 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

राजस्व प्रकरण क्र. 40अ/12वर्ष16-17 /61अ/12वर्ष 16-17 में राजस्व निरीक्षक महोदय रा.नि.मं. सिग्रामपुर तह.जबेरा जिला द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उद्भूत .....

...... द्वारा प्रस्तुत.
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

महोदय,

रिवीजनकर्ता प्रार्थना करता है :-

1. यह कि उक्त उत्तरवादी/आवेदक ने राजस्व निरीक्षक महोदय रा.नि.मं. सिग्रामपुर के समक्ष इस आशयका आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि ग्राम सलैया बड़ी प.ह.नं. 59/03 में खसरा नं. 427/2 रकबा 0.16 हे. स्थित है जिसका आवेदक मालिक है उक्त भूमि का सीमांकन किया जावे सीमांकन के साथ सीमांकन शुल्क का मूल चालान /खसरा एवं नक्शा ~~ट्रेस~~ ट्रेस की नकल प्रस्तुत की गई थी प्रकरण पंजीबद्ध

196
23/10/17

27

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/4073 नत्थुलाल विरूद्ध दीपचंद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी.के.जैन उपस्थित । आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल सिग्रामपुर तह. जबेरा के प्रकरण क्रमांक 40/अ-12/2016-17 / 61/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के.जैन) 3.1.19 सदस्य	